

8/9/25 पत्रावली पेशी में श्री गडी वाडी ने वाद पत्र पेश कर
याचित किया है कि चक्र 21 A/4 खाता सं. 2000/175
वाडी के पिता रामकुमार का नाम राजकुमार दर्ज
है जो कि गलत है इसलिए सही नाम रामकुमार
पुत्र रामरत्न दर्ज किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रार किया गया। जवाब लेटर पेश दु
जिलमें राजदित सुरक्षित रखते हुये दावा खिी किये
जाने का निर्देश किया गया। खारी द्वारा साक्ष्य
के तौर पर परिवार राशन कार्ड, आधाकार्ड, जन-
आधार कार्ड, पैन कार्ड व वाडी पिता का मृत्यु
प्रमाण प्रमाण पत्र पेश किया। श्री दिनेश

व्यारव्याला रा. उ. मा. वि. चार्डया (रावतलर) द्वारा
जारी तल्की प्रमाण पत्र जिलमें रामकुमार व राज
एक ही व्यक्ति के नाम होने का अंकन किया
है इस आधार पर वादपत्र स्वीकार कर तलकील
हनुमानगढ को आदेश है कि चक्र 21 A/4 खाता
सं. 2005/175 में खातेदार राजकुमार पुत्र रामरत्न
जगह रामकुमार पुत्र रामरत्न दर्ज किया जावे। आ
रुग्ण जाका पत्र. कोविल दफ्तर की जाती है।